Drishti IAS

करेंट अफेयर्स हरियाणा

मई (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा **3**

- दक्षिणी हरियाणा को हरा-भरा बनाने की सरकार की योजना 3
- चक्रव्यूह: द एस्केप रूम 5
- स्विस मिलिट्री का हरियाणा में निवेश 6
- प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि 7
- हरियाणा की नई आबकारी नीति 9
- हरियाणा में हीटवेव 10
- सुरक्षित सीमा से अधिक ओज़ोन का स्तर 11
- हरियाणा के सरकारी स्कूलों पर रिपोर्ट 12

दृष्टि The Vision

नोट :

हरियाणा

दक्षिणी हरियाणा को हरा-भरा बनाने की सरकार की योजना

चर्चा में क्यों ?

वन विभाग के अनुसार, **दक्षिण हरियाणा के छह ज़िले** वर्ष 2024 के मानसून सीज़न में **24 लाख पौधे लगाने** की तैयारी में हैं।

मुख्य बिंदु:

- **फरीदाबाद द्वारा 5 लाख पौधे लगाकर** इस **पहल का नेतृत्व** किया जाएगा, उसके बाद **महेंद्रगढ़ द्वारा 4.9 लाख पौधे** लगाए जाएंगे।
  - **पलवल और गुड़गाँव द्वारा क्रमशः 3.7 लाख तथा 3.4 लाख पौधे** लगाए जाएंगे, जबकि **नूंह एवं रेवाड़ी प्रत्येक में 3.3 लाख पौधे लगाने की योजना** बनाई जा रही है।
- वार्षिक बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण प्रयासों के बावजूद **गुड़गाँव के शहरी क्षेत्र** में **वन क्षेत्र 1% से भी कम** है। वर्ष 2024 का व्यापक वृक्षारोपण अभियान हरित आवरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
  - वृक्षारोपण अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिये वन विभाग **स्थानीय समुदायों को शामिल करने और पेड़ों के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने** की योजना बना रहा है।
  - नव स्थापित हरित क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा के लाभों के बारे में **जागरूकता बढ़ाने के लिये** रोपण पहल को संभवतः **शैक्षिक पहल के साथ जोड़ा जाएगा।**
- इस परियोजना का लक्ष्य गुड़गाँव की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है जो स्विस कंपनी **IQAir** के अनुसार सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है।
  - इस फर्म की रिपोर्ट के अनुसार, शहर में **PM 2.5 की सांद्रता** 2020 की तुलना में **वर्ष 2021 में 11% बढ़ गई**।
- **भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI)** वर्ष **2019 और 2020 के दौरान वन क्षेत्र में 2.47 वर्ग किमी. की गिरावट** का संकेत देता है।
  - हालाँकि उनकी उत्तरजीविता सुनिश्चित किये बिना बड़ी संख्या में पेड़ लगाना कोई प्रभावी समाधान नहीं है। क्षेत्र में पौधों की जीवित रहने की दर केवल 10 से 20% है, जो बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान की अपर्याप्तता को रेखांकित करती है।
  - पर्यावरणविद् क्षेत्र में जैवविविधता को बढ़ाने के लिये वृक्षारोपण अभियान ऑडिट और देशी प्रजातियों के पुनरुद्धार की आवश्यकता पर बल देते हैं।

भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India- FSI)

- FSI की स्थापना **जून 1981** में हुई थी और इसका **मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून** में है।
- यह **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन** है।
- यह संगठन भूमि और वन संसाधनों की बदलती स्थितियों की समय-समय पर निगरानी करने के लिये **वन सर्वेक्षण, अध्ययन एवं शोध** करता है।
- यह **राष्ट्रीय योजना, संरक्षण** और **पर्यावरण संरक्षण के सतत् प्रबंधन** के साथ-साथ **सामाजिक वानिकी परियोजनाओं** के कार्यान्वयन के लिये डेटा प्रस्तुत करता है।

नोट :

Air Pollutants

Sulphur Dioxide (SO_2)

It comes from the consumption of fossil fuels (oil, coal and natural gas). Reacts with water to form acid rain.

Impact: Causes respiratory problems.

Ozone (O_3)

Secondary pollutant formed from other pollutants (NOx and VOC) under the action of the sun.

Impact: Irritation of the eye and respiratory mucous membranes, asthma attacks.

Nitrogen Dioxide (NO_2)

Emissions from road transport, industry and energy production sectors. Contributes to Ozone and PM formation.

Impact: Chronic lung disease.

Carbon Monoxide (CO)

It is a product of the incomplete combustion of carbon-containing compounds.

Impact: Fatigue, confusion, and dizziness due to inadequate oxygen delivery to the brain.

Ammonia (NH_3)

Produced by the metabolism of amino acids and other compounds which contain nitrogen.

Impact: Immediate burning of the eyes, nose, throat and respiratory tract and can result in blindness, lung damage.

Lead (Pb)

Released as a waste product from extraction of metals such as silver, platinum, and iron from their respective ores.

Impact: Anemia, weakness, and kidney and brain damage.

Particulate Matter (PM)

PM10: Inhalable particles, with diameters that are generally 10 micrometers and smaller.
PM2.5: Fine inhalable particles, with diameters that are generally 2.5 micrometers and smaller.
Source: Emitted from construction sites, unpaved roads, fields, fires.
Impact: Irregular heartbeat, aggravated asthma, decreased lung function.

***Note:** These major air pollutants are included in the Air quality index for which short-term National Ambient Air Quality Standards are prescribed.*

नोट :

चक्रव्यूह: द एस्केप रूम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (HSNCB) ने **'चक्रव्यूह: द एस्केप रूम'** नामक एक अग्रणी परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य किशोरों को मादक पदार्थों की लत से दूर रखना है।

मुख्य बिंदु:

- चक्रव्यूह, जिसका अर्थ है भूलभुलैया, एक **"एंटी-ड्रग एस्केप रूम"** अर्थात् नशीली दवाओं से बचाव का अनुभव है जिसे गहन और इंटरैक्टिव अधिगम वाले वातावरण के माध्यम से **वास्तविक जीवन की चुनौतियों का अनुकरण** करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- इसका **पहला कार्यात्मक स्मार्ट क्लासरूम DAV पब्लिक स्कूल, अंबाला** में लॉन्च किया गया है और इस परियोजना को राज्य भर के अन्य सरकारी व निजी स्कूलों में दोहराया जाएगा।
- इसे **नियंत्रित वातावरण में यथार्थवादी परिदृश्यों का अनुकरण करने** के लिये डिज़ाइन किया गया है जहाँ प्रतिभागियों को स्थितियों से निपटने हेतु अपनी बुद्धि और नैतिक निर्णय का उपयोग करना चाहिये।
  - युवाओं का ध्यान और रुचि आकृष्ट करने वाले आकर्षक एवं लुभावने परिदृश्य बनाने के लिये यह **सेटअप** संवर्द्धित वास्तविकता (Augmented Reality- AR) तथा आभासी वास्तविकता (Virtual Reality- VR) जैसी **आधुनिक तकनीकों से लैस** है।
  - गतिविधि में **चुनौतियों के एक समूह को हल करना** शामिल है, जिनमें से प्रत्येक एक अलग जीवन परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें ड्रग्स/नशीली दवाएँ लेने की इच्छा भी शामिल है।
- एस्केप रूम प्रतिभागियों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के परिणामों और **बेहतर निर्णयात्मक कौशल के महत्त्व** के बारे में शिक्षित करता है। यह उन्हें उन परिदृश्यों में तल्लीन कर देता है जिनमें वास्तविक जीवन की स्थितियों को दर्शाते हुए **त्वरित सोच और प्रभावी संचार** की आवश्यकता होती है। यह पहल चुनौतियों के माध्यम से प्रगति के लिये सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता के द्वारा टीम वर्क और सहकर्मी समर्थन तंत्र को बढ़ाती है।
- HSNCB **इस अनुभव को डिजिटल बनाने पर** भी कार्य कर रहा है ताकि गेमिंग में रुचि रखने वाले बच्चे भी **इस गेम को ऑनलाइन खेल सकें** और मादक द्रव्यों के सेवन के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में **ज्ञान प्राप्त कर सकें।**

मादक पदार्थों की लत (Drug Addiction)

- यह किसी दवा, विशेष रूप से **नशीली दवाओं के आदी होने की स्थिति** को संदर्भित करता है।
- ये आम तौर पर **अवैध दवाएँ** हैं **जो किसी व्यक्ति के मनोदशा और व्यवहार को प्रभावित** करती हैं।
- **नशीली दवाओं के दुरुपयोग (Drug Abuse)** से तात्पर्य मस्तिष्क पर **तात्कालिक सुखद प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से कुछ रसायनों के प्रयोग** से है।
- **विश्व भर में 190 मिलियन से अधिक नशीली दवाओं के उपयोगकर्त्ता** हैं और यह समस्या विशेषकर 30 वर्ष से कम उम्र के युवा वयस्कों में खतरनाक दर से बढ़ रही है।

नोट :

- **नशीली दवाओं की लत से निपटने हेतु सरकारी पहल:**
  - इसके तहत नवंबर, 2016 में **नार्को-समन्वय केंद्र (Narco-Coordination Centre- NCORD)** का गठन किया गया और **"नारकोटिक्स नियंत्रण के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता"** की योजना को पुनर्जीवित किया गया।
  - नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक नया सॉफ्टवेयर यानी **ज़ब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली** (**Seizure Information Management System- SIMS**) विकसित करने के लिये धन उपलब्ध कराया गया है जो नशीली दवाओं के **अपराधों और संलग्न अपराधियों का एक पूरा ऑनलाइन डेटाबेस** तैयार करेगा।
  - सरकार ने नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से निपटने, नशे की लत के शिकार लोगों को बचाने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग व दुष्परिणाम के प्रति जनता को शिक्षित करने के संबंध में होने वाले व्यय के निर्वहन के लिये **"नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कोष"** नामक एक कोष का गठन किया है।
  - सरकार AIIMS के **नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर** की मदद से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के रुझान का आकलन करने के लिये एक **राष्ट्रीय ड्रग दुरुपयोग सर्वेक्षण** भी आयोजित कर रही है।
  - भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में, विशेषकर नशीली दवाओं का इंजेक्शन लेने वाले लोगों में **HIV के बढ़ते प्रसार** से निपटने की दिशा में **वर्ष 2016 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** द्वारा **'प्रोजेक्ट सनराइज़'** शुरू किया गया था।
  - **स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, (NDPS) 1985:** यह किसी व्यक्ति को किसी भी नशीले पदार्थ या मन:प्रभावी पदार्थ के उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन, भंडारण और/या उपभोग करने से प्रतिबंधित करता है।
    - **NDPS अधिनियम** को तब से तीन बार **वर्ष 1988, वर्ष 2001** और **वर्ष 2014** में संशोधित किया गया है।
    - यह अधिनियम पूरे भारत में व्याप्त है और यह भारत के बाहर रह रहे सभी भारतीय नागरिकों एवं भारत में पंजीकृत जहाज़ों व विमानों में यात्रा कर रहे सभी व्यक्तियों पर भी लागू होता है।
  - सरकार ने **'नशा मुक्त भारत'** या **ड्रग-मुक्त भारत अभियान** शुरू करने की भी घोषणा की है जो सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर केंद्रित है।

स्विस मिलिट्री का हरियाणा में निवेश

चर्चा में क्यों ?

ग्लोबल लाइफस्टाइल ब्रांड स्विस मिलिट्री ने घोषणा की है कि वह **56.5 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश** के साथ हरियाणा में अपनी पहली पूर्ण स्वामित्व वाली विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी।

मुख्य बिंदु:

- कंपनी की योजना **हरियाणा के फरीदाबाद में** लगेज एंड ट्रेवल गियर के लिये अपनी **पहली पूर्ण स्वामित्व वाली विनिर्माण इकाई** स्थापित करने की है।
  - **1.21 एकड़** में फैले और **लगभग 85,000 वर्ग फुट के निर्मित क्षेत्र** में प्रस्तावित संयंत्र की उत्पादन क्षमता **प्रतिवर्ष 10 लाख** होगी।
- विनिर्माण इकाई को **8 महीने के भीतर 31 दिसंबर, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।**
  - **घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अवकाश तथा व्यावसायिक यात्रा** में प्रभावशाली रूप से वापसी के साथ कंपनी को लगेज एंड ट्रेवल गियर हिस्से में जबरदस्त वृद्धि हुई है।

नोट :

- स्विस मिलिट्री का यह नया उद्यम 'मेक इन इंडिया' पहल का हिस्सा होने के साथ-साथ भारत और विदेशों में विस्तार के भविष्य के दृष्टिकोण से जुड़ा है।

मेक इन इंडिया पहल

- **वर्ष 2014 में लॉन्च किये गए** मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य **देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य में बदलना है।**
- इसका नेतृत्त्व **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,** भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- यह पहल पूरे विश्व के संभावित निवेशकों और भागीदारों को 'न्यू इंडिया' की विकास गाथा में भाग लेने हेतु एक खुला निमंत्रण है।
- मेक इन इंडिया 2.0 के तहत **27 क्षेत्रों में मेक इन इंडिया ने पर्याप्त उपलब्धियाँ हासिल की हैं।** इनमें विनिर्माण और सेवाओं के रणनीतिक क्षेत्र भी शामिल हैं

प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में **प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में** 1,79,406.5 टन की **वृद्धि हुई है,** जो वर्ष 2022 के 1,29,866.7 टन से 38% अधिक है। **इस अपशिष्ट का लगभग 14% लैंडफिल में निपटान किया गया था।**

मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट में **राज्य में प्लास्टिक की खपत में वृद्धि पर प्रकाश डाला** गया है, जिससे संभवत: अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन हो रहा है।
  - यह विकास चिंताजनक है क्योंकि यह अपशिष्ट प्रबंधन के लिये बाधाएँ उत्पन्न करता है और इसके स्थायी **पर्यावरणीय परिणाम** हो सकते हैं।
  - विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस समस्या के समाधान में **प्लास्टिक के उपयोग में कटौती करना** और **पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाने को प्रोत्साहित करना शामिल है।**
- **लैंडफिल में प्लास्टिक अपशिष्ट को जलाना** एक पर्यावरणीय मुद्दा बन गया है क्योंकि खराब प्रबंधन वाली जगहों के कारण सामान्यत: आग लग सकती है और वहाँ **ज़हरीले पार्टिकुलेट मैटर (PM) व गैसीय उत्सर्जन** हो सकता है।
  - इसलिये, निवारक उपाय के रूप में लैंडफिल में प्लास्टिक के निपटान को कम करने की सलाह दी जाती है।
- **शहरी स्थानीय निकाय (ULB) विभाग** ने प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिये एक रणनीति तैयार की है, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को सौंप दिया गया है।
  - सभी नगर निगमों को आवश्यक रूप से **सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ (MRF)** स्थापित करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार अपने प्लास्टिक अपशिष्ट को संभालने का निर्देश दिया गया है।

नोट :

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB)

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का **गठन एक सांविधिक संगठन** के रूप में **जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974** के अंतर्गत **सितंबर 1974** को किया गया।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को **वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह एक क्षेत्रीय गठन के रूप में कार्य करता है और **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के प्रावधानों के तहत **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

- भारत सरकार के **जल अधिनियम, 1974** के कानून के बाद जल की संपूर्णता को संरक्षित करने और जल प्रदूषण को रोकने के लिये वर्ष 1974 में हरियाणा सरकार द्वारा एक **सांविधिक संगठन** के रूप में इसका गठन किया गया था।

पार्टिकुलेट मैटर (PM)

- पार्टिकुलेट मैटर या PM, हवा में निलंबित बेहद **छोटे कणों और तरल बूंदों** के एक जटिल मिश्रण को संदर्भित करता है। ये कण कई आकारों में आते हैं और सैकड़ों विभिन्न यौगिकों से बने हो सकते हैं।
  - **PM 10 (मोटे कण)** - 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण।
  - **PM 2.5 (सूक्ष्म कण)** - 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण।

नोट :

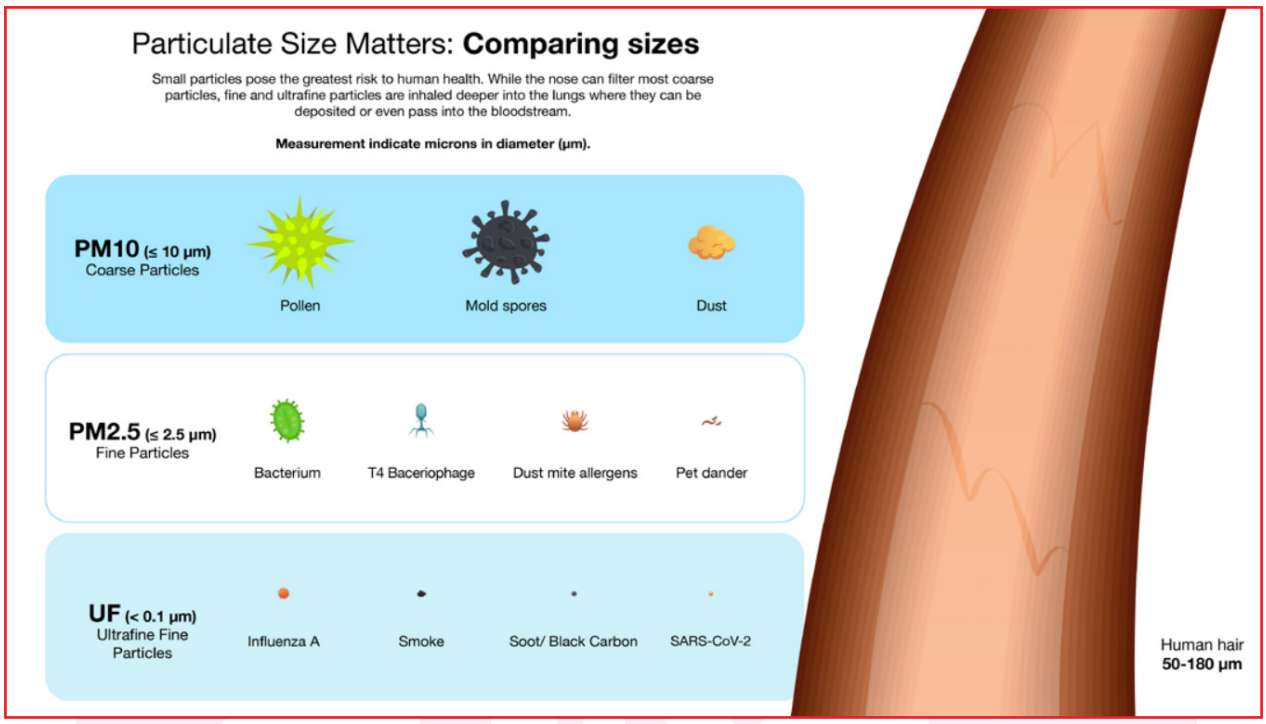

हरियाणा की नई आबकारी नीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **हरियाणा कैबिनेट** ने निर्वाचन आयोग से मंजूरी मिलने के बाद **वर्ष 2024-25** के लिये एक **नई आबकारी नीति को अपनी मंज़ूरी** दे दी।

मुख्य बिंदु:

- 12 जून से शुरू होने वाली नई नीति में **इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL)** और **देशी शराब** पर **एक्साइज़/आबकारी शुल्क** में मामूली बढ़ोतरी होगी।
- **मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी** की अध्यक्षता में यहाँ कैबिनेट की बैठक हुई।
- **वर्ष 2024-25** के लिये **IMFL** का अधिकतम बेसिक कोटा **700 लाख प्रूफ लीटर** (माप इकाई) और देशी शराब के लिये **1,200 लाख प्रूफ लीटर** होगा।
- IMFL और देशी शराब के लिये वर्ष 2023-24 में शुरू की गई **QR कोड-आधारित ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली** का विस्तार आयातित विदेशी शराब तक भी किया जाएगा।
- नई नीति में रिटेल दुकानों की अधिकतम संख्या वही रहेगी। **ई-नीलामी** में भाग लेने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड **या परिवार पहचान-पत्र,** पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों के लिये आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा और उसकी न्यूनतम कुल संपत्ति **60 लाख रुपए** होनी चाहिये।
- चूँकि मौजूदा **लोकसभा चुनाव** के मद्देनज़र आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिये नीति पर निर्णय लेने से पूर्व निर्वाचन आयोग की मंज़ूरी ली गई थी।

नोट :

आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct)

- MCC एक **सर्वसम्मत दस्तावेज़** है। राजनीतिक दल स्वयं चुनाव के दौरान अपने आचरण को नियंत्रित रखने और संहिता के भीतर काम करने पर सहमत हुए हैं।
- यह चुनाव आयोग को संविधान के **अनुच्छेद 324 के तहत दिये गए जनादेश को ध्यान में रखते हुए मदद करता** है, जो उसे संसद और राज्य विधानमंडलों के लिये स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों की निगरानी एवं संचालन करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **MCC चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक लागू रहता** है।
- संहिता **लागू रहने के दौरान सरकार किसी वित्तीय अनुदान की घोषणा** नहीं कर सकती, सड़कों या अन्य सुविधाओं के निर्माण का वादा नहीं कर सकती और न ही सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में कोई तदर्थ नियुक्ति कर सकती है।

आयकर रिटर्न

- **आयकर:** आयकर एक **वित्तीय वर्ष में अर्जित किसी व्यक्ति या व्यवसाय की वार्षिक आय** पर लगाया जाने वाला कर है।
  - भारत में आयकर प्रणाली आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होती है और यह एक प्रत्यक्ष कर है।
- **आयकर रिटर्न:** यह एक निर्दिष्ट दस्तावेज़ है जिसका **उपयोग किसी वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति की आय** और उस **आय पर भुगतान किये गए करों के विषय में आयकर विभाग को विवरण देने के लिये किया जाता है।**
  - इसके अतिरिक्त, यह फॉर्म लोगों को हुए नुकसान को दर्शाने तथा आयकर विभाग से रिफंड का दावा करने की सुविधा भी देता है।

हरियाणा में हीटवेव

चर्चा में क्यों

हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हरियाणा में हीटवेव की स्थिति की संभावना का संकेत देते हुए **"येलो" और "ऑरेंज"** अलर्ट जारी किया है।

मुख्य बिंदु:

- हीटवेव, **चरम गर्म मौसम की लंबी अवधि होती** है जो **मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण** और **अर्थव्यवस्था** पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
  - भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण विशेष रूप से हीटवेव के प्रति अधिक संवेदनशील है, जो **हाल के वर्षों में लगातार और अधिक तीव्र** हो गई है
- **भारत में हीट वेव घोषित करने के मानदंड:**
  - **मैदानी एवं पहाड़ी क्षेत्र:**
    - यदि किसी स्थान का **अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम-से-कम 40 डिग्री सेल्सियस** या उससे अधिक एवं **पहाड़ी क्षेत्रों में कम-से-कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुँच** जाता है तो इसे **हीटवेव की स्थिति** माना जाता है।
    - **हीट वेव के मानक से विचलन का आधार:** विचलन **4.50 डिग्री सेल्सियस से 6.40 डिग्री सेल्सियस** तक होता है।
      - **चरम हीट वेव:** सामान्य तापमान स्तर से वृद्धि **>6.40 डिग्री सेल्सियस** हो।
    - वास्तविक अधिकतम तापमान हीट वेव पर आधारित: जब वास्तविक अधिकतम तापमान **≥45 डिग्री सेल्सियस** हो।
      - **चरम हीट वेव:** जब वास्तविक अधिकतम तापमान ≥47 डिग्री सेल्सियस हो।
    - यदि एक मौसम विज्ञान उपखंड के भीतर **कम-से-कम दो स्थान** लगातार दो दिनों तक उपरोक्त तापमान स्थिति बनी रहती है, तो अगले दिन इसकी घोषणा की जाती है।

नोट :

- **तटीय क्षेत्र:**
  - जब **अधिकतम तापमान विचलन सामान्य से 4.50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक होता है**, तो इसे हीट वेव कहा जा सकता है, **बशर्ते वास्तविक अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या अधिक हो।**

सुरक्षित सीमा से अधिक ओज़ोन का स्तर

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) के अनुसार, पिछले 15 दिनों में शहर के कुछ क्षेत्रों में निचले वायुमंडल स्तर का ओज़ोन स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक हो गया है।

मुख्य बिंदु:

- **मानेसर सेक्टर 51 और ग्वालपहाड़ी में वायु निगरानी स्टेशनों के** डेटा 100 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर ($ug/m3$) आठ घंटे की ओज़ोन सीमा को पार करने के कई उदाहरणों का संकेत देते हैं।
- विशेषज्ञों ने स्थिति को चिंताजनक बताया है, यह देखते हुए कि निचले वायुमंडल स्तर पर ओज़ोन का अस्तित्त्व नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और **सल्फर ऑक्साइड (Sox)** जैसे अन्य प्रदूषकों के बढ़े हुए स्तर को इंगित करता है।
- ये प्रदूषक सूर्य की रोशनी के साथ संपर्क करके ओज़ोन का उत्पादन करते हैं, यह घटना मुख्य रूप से दिन के दौरान उन स्थानों पर होती है जहाँ यातायात की भीड़ होती है या जहाँ कई उद्योग सक्रिय होते हैं।
- **क्षोभमंडल ओज़ोन** एक्सपोज़र से स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होते हैं तथा **अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़** जैसी चिकित्सा समस्याएँ बढ़ सकती हैं।
- HSPCB अधिकारियों ने घोषणा की कि उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को **सड़क की धूल और अपशिष्ट जलाने को कम करने** के निर्देश दिये हैं।

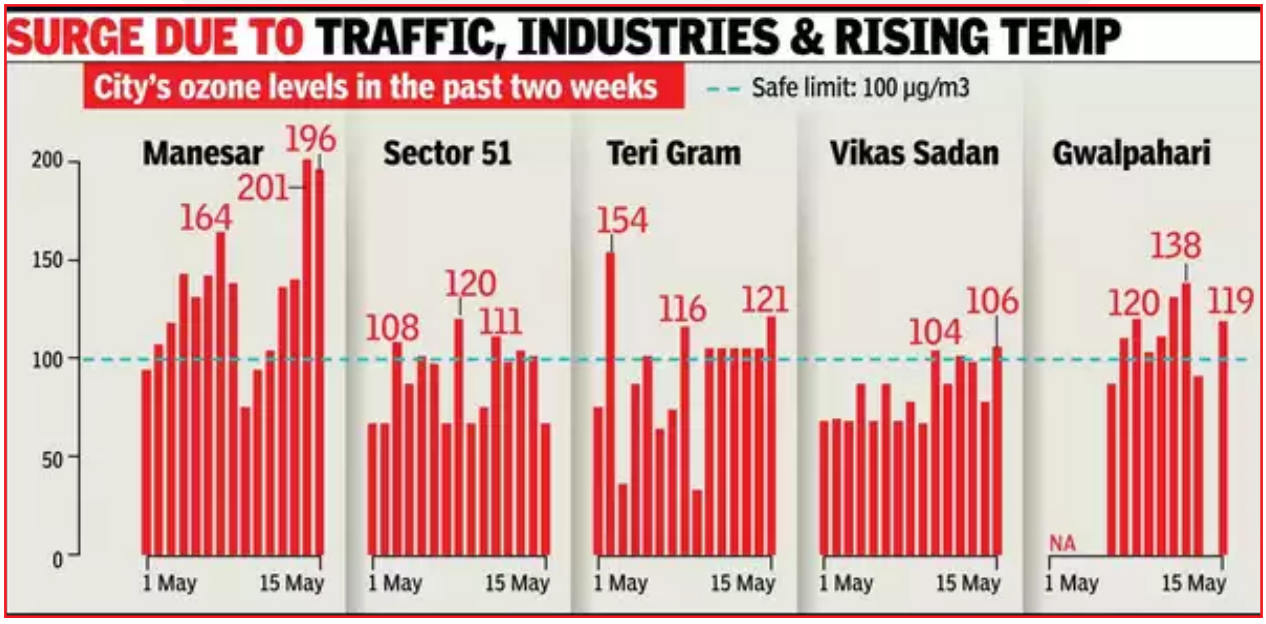

नोट :

ओज़ोन

- **ओज़ोन (ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बनी)** एक गैस है जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल और निचले वायुमंडल स्तर दोनों में होती है।
- ओज़ोन वातावरण में इसके स्थान के आधार पर **लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिये "अच्छा" या "बुरा"** हो सकता है।

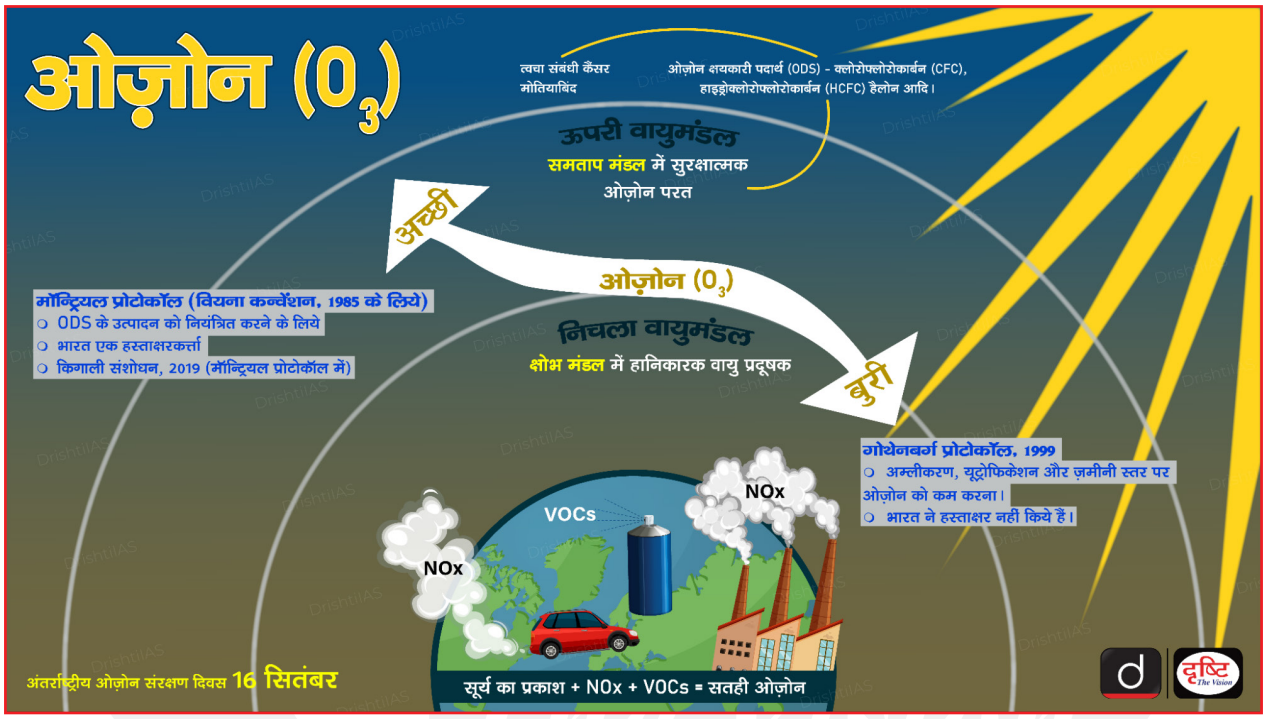

हरियाणा के सरकारी स्कूलों पर रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

एक हालिया सरकारी रिपोर्ट से पता चला है कि राज्य में **19 स्कूल बिना किसी छात्र के हैं, 811 स्कूलों** में सिर्फ **एक शिक्षक** है और **कुल 3,148 स्कूलों में उनकी क्षमता के आधे से भी कम छात्र हैं।**

मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट, जिसमें फरवरी 2024 में **केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा** आयोजित एक बैठक के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित किया गया, जिसमें राज्य के 14,562 सरकारी स्कूलों को चिह्नित किया गया।
- रिपोर्ट ने विशेषकर प्राथमिक विद्यालयों में **शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या** पर प्रकाश डाला और सरकार को इन रिक्तियों को तुरंत भरने की सलाह दी।
- शिक्षकों की कमी का असर वेतन भुगतान के लिये **आवंटित केंद्रीय धनराशि** पर पड़ा है।
- प्राथमिक क्षेत्र में, वित्तीय सहायता वर्ष 2021-22 की अवधि में 19 लाख रुपए से घटकर 14 लाख रुपए हो गई है।
- इसी तरह, उच्च शिक्षा में कई रिक्त पदों के कारण अनुदान 20 लाख रुपए से घटकर 14 लाख रुपए हो गया है।
- रिपोर्ट में शिक्षकों की कमी के अलावा **इन स्कूलों में छात्रों के लिये बुनियादी ढाँचे की कमी** की भी बात कही गई है।

नोट :

- जबकि स्कूल अतिरिक्त कक्षाओं के अपने लक्ष्य से 18% कम हैं, लड़कों और लड़कियों के लिये शौचालय 1% व 1.8% कम हैं। स्मार्ट क्लासरूम भी आवश्यक संख्या से 1.4% कम हैं।
- रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि अतीत की गैर-आवर्ती स्वीकृतियाँ, जिन पर वर्षों से राज्य द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है, अंतत: समग्र शिक्षा फ्रेमवर्क के अनुसार 5 वर्ष की अवधि के बाद राज्य की एकमात्र ज़िम्मेदारी बन जाएंगी।
- जिन स्कूलों ने सुविधाएँ स्थापित नहीं की हैं, उन्हें अपने प्रारंभिक प्रस्ताव वापस लेने चाहिये और नए प्रस्ताव के बारे में सोचना चाहिये।
- प्रस्तुत आँकड़ों में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिये राज्य सरकार को **लंबित कार्यों की प्रगति को नियमित रूप से** प्रबंध पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।

समग्र शिक्षा योजना

- यह **स्कूली शिक्षा के लिये एक एकीकृत योजना है, जिसमें प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा** तक की शिक्षा संबंधी सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।
- इसका उद्देश्य **समावेशी, न्यायसंगत और सुगम स्कूली शिक्षा** प्रदान करना है।
- यह '**सर्व शिक्षा अभियान**' (SSA), '**राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान**' (RMSA) और '**शिक्षक शिक्षा**' (TE) की तीन योजनाओं को समाहित करती है।
- इस योजना में **1.16 मिलियन स्कूल,** 156 मिलियन से अधिक छात्र और सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के 5.7 मिलियन शिक्षक (पूर्व-प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक) शामिल हैं।
- इसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। इसमें केंद्र और अधिकांश राज्यों के बीच वित्तपोषण में 60:40 का विभाजन शामिल है। इसे वर्ष 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।

समग्र शिक्षा योजना 2.0

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण **(Direct Benefit Transfer- DBT):**
  - योजना की प्रत्यक्ष पहुँच को बढ़ाने के लिये सभी **बाल-केंद्रित हस्तक्षेप छात्रों को सीधे सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफॉर्म** पर DBT मोड के माध्यम से समय-समय पर **शिक्षा का अधिकार** पात्रता के तहत पाठ्यपुस्तक, ड्रेस और परिवहन भत्ते प्रदान किये जाएंगे।
- **NEP की सिफारिशें:**
  - **भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन:**
    - इसमें **भाषा शिक्षकों** की नियुक्ति के लिये एक नया घटक है, जिसमें वेतन और प्रशिक्षण लागत के साथ-साथ द्विभाषी किताबें तथा शिक्षण सामग्री शामिल है, जैसा कि NEP में अनुशंसित किया गया है।
  - **पूर्व प्राथमिक शिक्षा:**
    - इसमें अब शिक्षण एवं अधिगम सामग्री, स्वदेशी खिलौने और खेल तथा खेल-आधारित गतिविधियों के लिये **सरकारी स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक वर्गों को समर्थन देने के लिये वित्त प्रदान** करना शामिल होगा।
    - योजना के तहत पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों और आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के लिये कुशल प्रशिक्षकों का समर्थन किया जाएगा।
  - निपुण भारत पहल:
    - इस पहल के तहत शिक्षण सामग्री के लिये **प्रति छात्र 500 रुपए,** मैनुअल और संसाधनों के लिये प्रति शिक्षक 150 रुपए तथा आधारभूत **साक्षरता एवं अंकगणित के आकलन के लिये** प्रति ज़िले 10-20 लाख रुपए का **वार्षिक प्रावधान है।**

नोट :

- **डिजिटल पहल:**
  - डिजिटल बोर्ड, वर्चुअल क्लासरूम और DTH चैनलों के लिये समर्थन सहित **ICT लैब तथा स्मार्ट क्लासरूम** का प्रावधान है, जो **कोविड-19 महामारी** के मद्देनज़र अधिक महत्त्वपूर्ण हो गए हैं।
- **स्कूल न जाने वाले बच्चों हेतु:**
  - इसमें 16 से 19 वर्ष की आयु के **स्कूली बच्चों को ओपन स्कूलिंग** के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने के लिये 2000 प्रति ग्रेड के वित्तपोषण का समर्थन देने का प्रावधान शामिल है।
  - स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों दोनों के लिये **कौशल तथा व्यावसायिक शिक्षा पर भी अधिक ध्यान** दिया जाएगा।

✦ ✦ ✦ ✦

दृष्टि The Vision

नोट :